तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज कानाराम वगैरह बनाम वगता वगैरह, मुकदमा संख्या – 76 / 2014	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
16.10.2024	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वांके सरहद धानता में पुराना खेत खसरा संख्या 58 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा एंव खसरा संख्या 86 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा एवं कब्जा काश्तसुदा की चली आ रही है। खसरा संख्या 58 के नवीन खसरा संख्या 112 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा संख्या 113 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 116 रकबा 0.93 हैक्टेयर भूमि जो खसरा संख्या पुराना 86 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा को शामिल बनाते हुए सृजित किये गये है। खसरा संख्या 87 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा जिसके नवीन खसरा संख्या 136 से 143 मूर्तिब हुए। खसरा संख्या 58 एवं 86 के बीच पुराना खसरा संख्या 85 का रास्ता चल रहा है जो ट्रैश नक्शा प्रदर्श 'अ' पेश है। द्वितीय सेटलमेंट में पुराना खसरा संख्या 86 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा भूमि को ही नक्शे में अदृश्य कर दी एवं रास्ता खसरा संख्या 86 एवं 58 के बीच से चल रहा था उस रास्ते को भी अदृश्य कर दिया जो नवीन नक्शा प्रदर्श 'ब' पेश किया गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी के खेतों से जो पूर्व में रास्ता जिस स्थान से निकलता था वह रास्ता हटाकर अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 136, 138 की तरफ तरमीम कर दिया गया। इस प्रकार द्वितीय सेटलमेंट वालों ने भारी गलती की है। उक्त खसरा संख्या 58 एवं 86 पर प्रार्थीगण का आज भी कब्जा काश्त है मात्र रास्ता अप्रार्थीगण की माठ की तरफ दर्शाया है वह वर्तमान में चल रहा है जिसका नक्शा प्रदर्श 'स' पेश है। इस प्रकार द्वितीय सेटलमेंट वालों ने मौके की स्थिति से हटकर प्रार्थीगण की भूमि खाते में से खसरा संख्या 139 रकबा 0.02 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 140 रकबा 0.14 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.16 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज करने की भारी भूल की है जबकि प्रार्थीगण का वर्तमान में कब्जा काश्त है जो नक्शा प्रदर्श 'स' में दर्शाया है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका नहीं गया तो वे प्रार्थीगण के खेतों में प्रवेश कर नुक्शअमन करेंगे तथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपने जवाब दावें में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नवीन खसरा संख्या 159 रकबा 0.39 हैक्टेयर भूमि पुराने रकबे अनुसार गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की गई, उक्त रास्ता की भूमि मौके पर रास्ता चलता है इसी अनुसार नक्शे में दर्ज की गई है इस प्रकार अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज करने की कोई कानूनी भूल नहीं की है। अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज भूमि खसरा संख्या 139 व 140 के पुराना खसरा संख्या 87 के माफिक एवं कब्जा काश्त माफिक भूमि राजस्व रेकर्ड में विधि अनुसार दर्ज की गई है जिसमें गलत होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण के खाते में किसी भी प्रकार की भूमि का रकबा घटाया बढ़ाया नहीं प्रार्थीगण के पुराने रकबे के माफिक सेटलमेंट में बराबर कब्जे अनुसार दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण ने गलत नक्शा पेश किया है तथा प्रार्थना–पत्र भी गलत पेश किया है रकबे में किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं की गई है तथा एक खातेदार के विरूद्व कानूनी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है तथा मौके पर वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का सहज व शांतिपूर्ण निर्बाध रूप से कब्जा काश्त पीढ़ीयों से चला आ रहा है जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है जब वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा माफिक कब्जा काश्त राजस्व रेकर्ड में मूल रकबे के बराबर भूमि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod
Date: 2024.11.29 17:16:00
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

सेटलमेंट अधिकारियों ने नवीन राजस्व रेकर्ड में दर्ज की है तो अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है तो प्रवेश होने का प्रार्थीगण का प्रश्न निराधार है इस अस्थायी निषेधाज्ञा के कानुनी तीनों स्तंभ प्रार्थीगण के विरूद्ध है तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में है अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के लिए बिना आधार का कानूनी सिद्वान्तों के विपरित प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो मय खर्चा खारिज फरमावें।

हमनें उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वर्तमान खसरा संख्या 139 रकबा 0.02 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 140 में से रकबा 0.14 हैक्टेयर [illegible] जुमले रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि मौजा धानता जो प्रदर्श [illegible] है उस भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का कब्जा न करें [illegible] किसी भी प्रकार का नुक्शअमन करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:16:00 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) साचौर, जिला–साचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) साचौर